



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
 भाग-4, खण्ड (ख)  
 (परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 1 अक्टूबर, 2021

आश्विन 9, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
 राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1042/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश (203)-2021

लखनऊ, 1 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-347

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या क०नि०-2-837/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश (07)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 86 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

"86.	1209	बीज, फल और बीजाणु जो बोने के लिये उपयोग में लाये जाते हैं <b>स्पष्टीकरण:</b> इस प्रविष्टि में बुवाई से भिन्न किसी अन्य उपयोग के लिए बीज सम्मिलित नहीं है।";
------	------	--

2-यह अधिसूचना तारीख 1 अक्टूबर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,  
 संजीव मित्तल,  
 अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1042 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order (203)-2021, dated October 1, 2021 :

No. 1042 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order (203)-2021

*Dated Lucknow, October 1, 2021*

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification no. KA.NI.-2-837/XI-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order (07)-2017, dated June 30, 2017, namely :-

In the said notification, in the Schedule, for S. No. 86 and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries thereto shall be *substituted*, namely:-

"86.	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing <b>Explanation:</b> This entry dose not cover seeds meant for any use other than sowing.";
------	------	--

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of October, 2021.

By order,  
SANJIV MITTAL,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 367 राजपत्र-2021-(832)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट) ।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 30 सा० राज्य कर-2021-(833)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट) ।